<u>न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :- 890 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 24 / 12 / 2016)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरूद्ध //

- 01. रामप्रकाश शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा, उम्र 60 वर्ष।
- 02. राजेश शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा, उम्र 52 वर्ष। निवासीगण :— ग्राम बरौली, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

...... अभुयक्तगण।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 05/04/2018 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण रामप्रकाश एवं राजेश पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 02/03/2016 की रात्रि लगभग 09:00 बजे, फरियादी प्रमोद के घर के सामने स्थित ग्राम बरौली मौ में, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, पर फरियादी प्रमोद को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी प्रमोद की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त राजेश ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्त रामप्रकाश ने लाठी से मारपीट कर फरियादी प्रमोद को स्वेच्छया उपहितयाँ कारित की एवं फरियादी प्रमोद को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 02/03/2016 की रात्रि लगभग 09:00 बजे, फरियादी प्रमोद के घर के सामने स्थित ग्राम बरौली मौ में, आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजेश द्वारा फरियादी प्रमोद से गाली—गलौच करने, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लाठियों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रमोद द्वारा दिनांक : 03/03/2016 को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2016 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घाटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पत्रक बनाया गया। फरियादी प्रमोद शर्मा, साक्षीगण नरेश एवं संजीव के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण रामप्रकाश एवं राजेश के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी राजेश ने दिनांक :— 02/03/2016 की रात्रि लगभग 09:00 बजे, फरियादी प्रमोद के घर के सामने स्थित ग्राम बरौली मौ में, सहअभियुक्त रामप्रकाश के साथ मिलकर फरियादी प्रमोद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी प्रमोद अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण राजेश एवं रामप्रकाश को जानता हूँ, वह उसके चाचा लगते है। ध ाटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05 / 04 / 2018 से करीबन दो वर्ष पूर्व की होकर रात्रि 09:00 बजे की है। उस समय उसका आरोपीगण से जमीनी विवाद के संबंध में मुँहवाद हो गया था, जिस पर से आरोपीगण ने उसकी लात–घूसों से मारपीट कर दी थी। इस वावत् उसके द्वारा थाना मौ में रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी प्रमोद अ. सा.01 ने आरोपी राजेश द्वारा दिनांक :- 02/03/2016 की रात्रि लगभग 09:00 बजे, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावतु फरियादी प्रमोद अ.सा.०१ की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी प्रमोद अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

- 08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी राजेश ने दिनांक :— 02/03/2016 की रात्रि लगभग 09:00 बजे, फरियादी प्रमोद के घर के सामने स्थित ग्राम बरौली मौ में, सहअभियुक्त रामप्रकाश के साथ मिलकर फरियादी प्रमोद की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहतियाँ कारित की।
- 09. अभियोजन आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजेश के विरूद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद